


प्रस्ताव मुख्य वन संरक्षक इस कार्यालय को ऑनलाईन एवं हार्ड कापी प्रेषित की है। प्रस्ताव का ऑनलाईन परीक्षण करने पर पाया गया कि:-

1. पार्ट-II में working Plan prescription Mention किया जाना है।
2. पार्ट-II में Violation details किया जाना प्रस्तावित है, जिसमें जिम्मेदार कर्मचारी/अधिकारियों का विवरण दिया जाना अपेक्षित है।
3. अभी भी Violation किया जा रहा होना अवगत कराया है, जो उप वन संरक्षक स्तर पर रोका जाना अपेक्षित है।
4. सीए की राशि 11,40832/- प्रति हैक्टर की दर से ली जानी प्रस्तावित की गई है, जो उचित नहीं है एवं ना ही तार्किक प्रतीत होता है। वर्तमान में विभाग द्वारा एनएफएल हेतु 192400/-प्रति हैक्टर की दर से मॉडल स्वीकृत है।
5. उप वन संरक्षक द्वारा 6 कि.मी. दीवार हेतु 1.59 करोड़ तथा 2 कि.मी. Existing दीवार हेतु 0.53 करोड़ राशि ली जानी प्रस्तावित की गई है जिसका न तो आधार स्पष्ट किया है तथा न ही V/A की सहमति। बचन बद्धता ली गई है।
6. एनएफएल का विस्तृत प्राक्कलन नहीं दिया गया है।
7. डीएफएल की विस्तृत प्राक्कलन CA Scheme, भूमि उपयुक्तता प्रमाण पत्र, Digital map, Topo sheet एवं KML की जानी है।
8. प्रस्तावित वन भूमि का गजट नोटिफिकेशन की प्रति अपलोड नहीं है।
9. उप वन संरक्षक Site Inspection रिपोर्ट में Violation की विस्तृत विवरण नहीं है।
10. मुख्य वन संरक्षक की Site Inspection रिपोर्ट नहीं है।
11. उप वन संरक्षक की अभिशंषा पर हस्ताक्षर नहीं है।
12. मुख्य वन संरक्षक की अभिशंषा नहीं है।

This EDS is approved by competent authority.

  
16/8/22  
S. K. Gupta  
ACF, FCA